न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 85/2013

1 भगवाना पुत्र गुला उम्र 75 वर्ष जाति कहार निवासी कहारो की ढ़ाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भूरी उम्र 55 वर्ष पुत्री छोगा पत्नी मोहनलाल।
2 मनी उम्र 50 वर्ष पुत्री छोगा पम्नी नानकराम।
3 छिगनी उम्र 48 वर्ष पुत्री छोगा पत्नी नानकराम समस्त जाति कहार निवासीगण कहारो की ढ़ाणी तहसील व जिला सीकर हाल निवासी पतिगृह गंगा पोल मेहरा का मोहल्ला जयपुर।
4 तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।
5 उप पंजियक सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर मुकदमा नम्बर 58/13 मुकदमा अनुवानी भूरी बनाम भगवाना आदि दावा निर्णय दिनांक 22.04.2013 जिसके तहत वाद वादीगण डिक्री किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह राजपूत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 58/2013 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 विचारण न्यायालय में ग्राम बाजौर की भूमि खसरा नम्बर 496,497 बाबत एवं विक्रय पत्र दिनांक 02.03.1984 को प्रभावहीन व शून्य घोषित करने हेतु उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादास्पद भूमि पुराने खसरा नम्बर 442 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा के जो नये खसरा नम्बर 496,497 अंकित किये गये है कि पहले खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पिता मृतक छोगा के नाम 1/8 हिस्सा की थी। जिससे छोगा ने अपने जीवनकाल में ही अपने सगे भाई जो भगवाना अपीलांट है को दिनांक 01.03.1984 को बेचान करके विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 02.03. 1984 को विधिपूर्वक करवाकर कब्जा अपीलांट को सुपुर्द कर दिया था। उसके बाद छोगा की मृत्यु हो गयी। जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को शुरू से ही थी। बेचान के पश्चात मृतक छोगा एवं उसकी पुत्रियां का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई कब्जा काश्त कभी नही रहा। ना ही छोगा ने अपने पास में कोई भूमि रखी। जिससे मृतक छोगा की पुत्रियों का कोई किसी प्रकार का हक हिस्सा बनता हो उक्त हक हिस्से बाबत ही मृतक छोगा की पुत्रियों का उद्घोषणा बाबत वाद था। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने अपने वाद में वादास्पद भूमियों को पैत्रिक बताकर पैत्रिक के आधार पर अपने हक हिस्से की उद्घोषणा चाही थी। जबकि पुत्रियों को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत अपने पिता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा प्राप्त कने का कानूनी अधिकार नही था एव ना ही रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पिता ने अपने पास में भूमि रखी जिससे वादीगण जरिये वाद चुनौती देने दे सकें। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा व 8 के प्रावधानों के खिलाफ होने से खारिज होने योग्य था। वादास्पद भूमियों को मृतक छोगा ने अपने सहमती से अपने जीवनकाल में अपने सगे भाई अपीलांट भगवाना के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया जाकर कब्जा सुपुर्द किया था एवं प्रतिफल प्राप्त किया था। जिसकी जानकारी भी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को शुरू से ही रही है। यदि इनको कोई आपत्ति ऐतराज था तो उनके द्वारा विक्रय पत्र को कानूनन सिविल कोर्ट में ही चुनौती देकर निरस्त करवाया जाना चाहिए था। जिसके बारे में रेवेन्यू कोर्ट को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नही था। विवादित विक्रय पत्र शून्य नही होकर शून्य करणीय दस्तावेजात था। अपीलांट वादास्पद भूमियों के 1/4 हिस्सा का खातेदार है जिसकी तामील भी नियमानुसार नही करवायी गयी है। ना ही तामील के कानूनी प्रावधानो को ध्यान में रखा गया है। अपीलांट के तामील हेतु नोटिस दिनांक 20.03.2013 को जारी किया जाकर दिनांक 01.04.2013 को हाजिर आने बाबत नोटिस जारी किये गये नोटिस की पुश्त पर तामील कुनिन्दा ने रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 व नोटिस में अंकित गवाहों से साज करके साजीस पूर्वक अपीलांट की तामील सही नही करवायी गयी है। गलतरूप से तामील इंकारी से दिखाई जाकर अपीलांट द्वारा गलतरूप से खुले मकान पर चस्पा करने का गलत नोट लगाया है। जबकि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रार्थी वृद्व व्यक्ति है। जो अधिकतर घर पर रहता है। बाहर नही जाता है यदि तामील कुनिदां प्रार्थी के समन नोटिस लेकर अपीलांट के घर पर जाता तो अपीलांट समान पूर्वक नोटिस लेकर हाजिर अदालत होकर मुकदमें की पैरवी करवाता परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने बसाजीस नोटिस में अंकित गवाहों से साज कर तामील कुनिन्दों से साजकर गलत नोटिस नही लेने बाबत नोट लगाया है। जबकि जिन दो गवाहो के बतौर साक्षी हस्ताक्षर करवाये है वो कहारों की ढ़ाणी के रहने वाले नही है बल्कि तालाब की ढ़ाणी नि रैवासा के रहने वाले है। जिससे वादास्पद भूमि 3 किलोमीटर दूर पड़ती है। जबकि भींवाराम को कहारो की ढ़ाणी का रहने वाला अंकित किया है जिसके हस्ताक्षर भी नही है। शंकरलाल कहा का रहने वाला है उसका निवास पता अंकित नही है एव ना ही नोटिस की पुस्त को अवलोकन करने से पता चलता है कि कितने तारीख को कितनी बजे तामील कुनिन्दा ने तामील करवायी है ना ही मकान किस दिशा में खुलता है अंकित नही है और कहा पर स्थित है। नोटिस की ईबारत एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गयी प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में तामील आर्डर 5 रूल्य 17 सीपीसी के प्रावधानो के खिलाफ होने से मान्य किये जाने लायक नही है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही को मनसुख करवाने की कोई कार्यवाही नही की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही मिला है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को जवाब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

देही, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 की पालना नही की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है जबकि चस्पांदगी से तामील के आदेश विचारण न्यायालय की पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व एवं विधिक प्रकिया के विपरित होने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई जवाब का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर